न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 27 / 2020

1 विधाधर पुत्र रामकुमार सिंह जाति जाट निवासी डाबड़ी बलौदा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

अपीलांट

बनाम

1 रामकुमार सिंह पुत्र हरचन्द सिंह।

2 सुभाष पुत्र रामकुमार सिंह।

3 महेन्द्र पुत्र रामकुमार सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण डाबड़ी बलौदा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

4 भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुंझुनू पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस. मुकदमा संख्या 53 / 2020 उनवानी विधाधर बनाम रामकुमार सिंह आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांकित 08.07.2020

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

अपील संख्या 31/2020

1 रामकुमार सिंह पुत्र हरचन्द सिंह।
2 सुभाष पुत्र रामकुमार सिंह।
3 महेन्द्र पुत्र रामकुमार सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण डाबड़ी बलौदा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 विधाधर पुत्र रामकुमार सिंह जाति जाट निवासी डाबड़ी बलौदा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4 भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ आदेश दिनांक 08.07.2020
बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला
झुंझुनू प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी
विधाधर वगैरह बनाम रामकुमार सिंह वगैरह
मुकदमा नम्बर 53/2020 तारिख पेशी 21.08.20

उपस्थिति :

1. श्री शिशराम सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 25.03.2021

यह दोनो अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 53/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 08.07.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो अपीलो के पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतिया दोनों पत्रावलियों में अलग–अलग रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने ग्राम डाबड़ी बलोदा की भूमि खसरा नम्बर 283,284,414 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 08.07.2020 को उक्त विवादित भूमि के सन्दर्भ में 1/4 हिस्से के लिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट ने सम्पूर्ण भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2020 को अन्तरिम रूप से उक्त सम्पूर्ण विवादित भूमि के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा वकील अपीलांट की बहस पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का मनमर्जी से विपरित अर्थ निकालते हुए वादग्रस्त भूमियों के केवल मात्र 1/4 हक, हिस्से के बाबत अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। जबकि अपीलांट द्वारा की गई बहस एवं अपीलाधीन प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के अनुसार जब तक बंटवारानामा दिनांक 11.05.2013 जिसमें अन्य संपदाएं भी शामिल थी के अनुसार वादग्रस्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो जाने तक सम्पूर्ण भूमियों के बाबत मौका व राजस्व रिकार्ड बनाये रखने तथा अन्यत्र हस्तांतरित नहीं किये जाने निमित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गयी थी। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.02.2020 में जो 1/4 हिस्से की सीमा तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है उसको विस्तारित किया जाकर वादग्रस्त भूमियों खसरा नम्बर 283,284,414

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

तन डाबड़ी बलौदा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू के सम्पूर्ण हक, हिस्से के सम्बंध में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित आवश्यक एवं न्याय संगत है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांधीन आदेश में मनमाने रूप से केवल मात्र 1/4 हक हिस्से निमित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार सम्पूर्ण हक, हिस्से के सम्बंध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए थी। इस कारण भी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विस्तारित की जाने योग्य है। वर्तमान में रेस्पोडेंट्स विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2020 की आड़ में यथाशीघ्र वादग्रस्त भूमियों खसरा नम्बर 283,284,414 तन डाबड़ी बलोदा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू के 3/4 हक, हिस्से बाबत अवैध हस्तान्तरण प्रलेख निष्पादित एवं पंजीकृत करवाने तथा विवादित भूमियों को यथाशीघ्र खुर्द बुर्द करने पर आमादा फसाद हो रखे है। इसलिए भी अपीलाधीन अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विस्तारित की जानी उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है तथा तादौराने अपील भी सम्पूर्ण भूमियों खसरा नम्बर 283 रकबा 0.7400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 1. 8600 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 3.1700 हैक्टेयर तन डाबड़ी बलोदा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व हस्तान्तरण नहीं करने निमित निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामेगोड़ा बनाम वरदप्पा नायडू प्रकरण में 2003 मे पारित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि रेस्पोडेंट रामकुमार की स्वः अर्जित भूमि है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। विवादित भूमि पैतृक नही है। खसरा नम्बर 283,284 रेस्पोडेंट रामकुमार की खरीद शुद्वा भूमि है। स्वःअर्जित भूमि पर पिता के जीवनकाल में बेटा हक क्लेम नही कर सकता है कानून से खातेदार को उसके खातेदारी अधिकारो को स्थानान्तरित करने से नही रोका जा सकता है। विचारण न्यायालय ने न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना विचाराधीन अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर विधिक त्रुटि की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

है। अत अपीलांट की अपील खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्त ने अपने कथनो के समर्थन में आर.आर. टी. 2006(1) पेज 45, आर.बी.जे. 2004 पेज 70, आर.आर.डी. 2016 पेज 232, ए.आई. आर. 1988 पेज 576, डी.एन.जे 2013 (2) पेज 626, आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 1310, ए.आई.आर. 1997 पेज 205 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.07.2020 को विवादित भूमि खसरा नम्बर 283,284,414 वाके ग्राम डाबडी बालौदा बाबत 1/4 हिस्से के सम्बंध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई थी। इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में दिनांक 29.07.2020 को विवादित भूमि सम्पूर्ण के सम्बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है। पक्षकारो के मध्य मूलवाद एवं धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत दोनों अपीले धारा 212 में पारित अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। धारा 212 के आवेदन का अन्तिम निर्णय अभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय में किया जाना शेष है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार इस स्तर पर दोनों अपीलों में गुणावगुण पर इस स्तर पर कोई विवेचन करना हम उचित नहीं समझते हैं। फलतः दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं। न्यायहित में विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष लंबित आवेदन धारा 212 का गुणावगुण पर अंतिम रूप से 2 माह में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते
सीकर